


राजस्थान सरकार
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग
कमांक: प.25(2)आयु. / 2022 जयपुर, दिनांक :- 07 JUL 2022

आदेश

विभागान्तर्गत संचालित समस्त जिला चिकित्सालयों, चिकित्सालयों एवं एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में पूर्व में जारी आदेश के अतिक्रमण में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं-

1. विभागान्तर्गत संचालित समस्त जिला चिकित्सालय, चिकित्सालय एवं एकीकृत आयुष चिकित्सालय संबंधित संभागीय अतिरिक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे।
2. राजकीय आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर के छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु पूर्ववत जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, अजमेर को उपयोग में लिया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।


07-07-22
(आर.एन.शर्मा)
शासन उप सचिव


राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर,
EMAIL_dri.ayu@rajasthan.gov.in

दूरभाष - 0145-2425003
0145-2425004

कमांक:प.3/सामा.6/विविध/2019/13120
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक : 8/7/2022

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, जयपुर
2. कुल सचिव, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर
3. प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद, महाविद्यालय, उदयपुर
4. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग समस्त सम्भाग।
6. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, समस्त।
7. समस्त जिला चिकित्सालय आयुर्वेद विभाग


(डॉ आशुतोष विमल)
सहायक निदेशक